

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.एस.

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

वलभाराम पुत्र सोमाराम जाति
पुरोहित, निवासी जेतपुरा, हाल
बडगांव तहसील रानीवाडा,
जिला जालोर

राजस्थान सरकार जयपुर भूमिधारी
तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील

37/2019

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय
दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा द्वारा 9 आर.एल.आर.
एक्ट, प्रकरण संख्या 10/2019 वलभाराम बनाम सरकार

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
- 2-तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोंडेन्ट
- 3-श्री छोटूसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक:- 06.01.2020

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन भूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया गया। प्रकरण में काम सुनी गई। संक्षिप्त में इस प्रकार है कि

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलग्रस्त भूमि के बारे में बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मानमसिंह रावपुर से जागीर कमीशनर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आबादी भूमि जो उसने अपनी निजी सम्पत्ति मानती थी उसका विस्तृत विवरण सूची में पेश किया था जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का इन्द्रात्र किया, जिसका इस अपील में कोई विवाद नहीं है। सूची-थी - मकान आबादी भूमि आदि का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि ही अपीलग्रस्त भूमि है जिसके अनुसार चक्का वाला मकान व उसके आगे-पिछे पडी खुली जमीन शामिल है। जागीर कमीशनर ने जागीर के दिप्ती कलेक्टर (जागीर) से जांच करवाई गई उन्होंने वाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पुनः माननीय कमीशनर के न्यायालय में पेश की, उसमें सूची-थी व क्रम संख्या 4 में भूमि के पडौस अंकित किये हैं उसी भूमि पर कोई उजदारी प्राप्त नहीं होने से पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति मानती है जिसका निर्णय आयुक्त (जागीर) ने दिनांक 19/01/1963 को किया, उस निर्णय के बरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार ने अपील नहीं की है इसलिये वह निर्णय अंतिम है चुका है। उस निर्णय की पालना में भूमिधारी स्वयं को रेकॉर्ड दुरुस्ती कर खसरा नंबर 791 में ओरण की बजाय गै.मु. आबादी दर्ज करनी चाहिये श्री कृष्ण कृष्ण रेकॉर्ड को अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इसी जागीरदार से नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिए अपीलान्ट ने आबादी भूमि खरीद की है जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तहसीलदार तहसीलदार भीनमाल ने ही किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को ओरण की

मानकर बेदखली व जूमनि का आदेश किया है जो विधि में प्रावधानों के विपरित होने से निम्न आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है : पटवारी हल्का बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम बार सन् 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिससे बाद जांच अपीलार्थीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50% रूपये का जूमनि लगाया है यह निर्णय इसी पत्रावली में उपलब्ध आर्डर शीट दिनांक 16/03/2019 के निष्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसमें यह स्पष्ट निष्कर्ष किया है कि "कब्जाधारी जागीर कमीशनर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण ड्रॉप योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने ही अपनी आदेशिका दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कार्मिकों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की, जागीर कमीशनर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर जालोर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मन्दानात व आबादी भूमि को गहनता से जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीशनर माहब के निर्णय की सूची बी में क्र. संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि की मौके पर जांच की, उस वकत चक्की व मकान प्राये गये लिखे हैं, जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पत्ति की सूची 1958-59 में पेश की। जिसका निर्णय 1963 में हुआ है, उस समय चक्की व मकानात खुली जमीन मौजूद थी जिसके चारों तरफ पुरानी काटों की बाड थी जिस पर पूर्व जागीरदार का हब्जा था। अब चक्की व मकान नहीं मिले, लेकिन मौतबिगान ने चक्की व मकान वाला भूमि निशानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारों तरफ पुरानी बाड जागीरदार की थी उसमें अब दुकान आवासीय मकानात पर जागीरदार की निजी भूमि के पडौस बताये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने की बजाय बेदखली व जूमनि का आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पत्ति की सूची बी में क्र. संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बताये, जिनमें से अपीलान्त ने 1 गुणा 40 दुकान प्लस 10 फीट रास्ता प्लस 20 फीट गोदाम कुल 11 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन लिया। इसके बाद अपीलान्त ने ग्राम पंचायतों से पट्टे भी प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बा. जांच आवारी मानते हुये पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बैचाननाम पंजीयन किया, उसने भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए रूल ऑफ एस्टापल्ल" के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि को ओरण मानने से विवंधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अंतर्गत तक चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में उसी भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जूमनि का आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अपीलार्थीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है जो गैर सायल व उनके अधिवक्ता की गैर हाजरी में दिया गया। जो निर्णय से स्पष्ट है निर्णय में न तो अधिवक्ता की

उपस्थिति दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है जबकि गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, उसका भी निर्णय में हवाला नहीं दिया जवाब के साथ कुल 10 दस्तावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 सी.पी.सी के प्रावधानों के भी विरुद्ध है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई, उसी दिन नकल मांगी व उसी दिन मिली। उसके बाद अन्य नकले व राजस्व मॉडल से पत्रावली प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अर्पण दिनांक 21/10/2019 को पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र उत्तम से पेश है जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन क्रिया जाकर न्यायहित में अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 से प्रभाव में आया है इसमें पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आबादी भूमि उनके जागीरी की थी जागीरदार खुद कसत की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ी गई भूमि पर आबादी भी बसा सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम सेटलमेंट का पैमाइश कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलप्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पडौस में ओरण भूमि रही होगी, इसलिये यह भी रेकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गई जो ननवाय भूल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति ही थी जब जागीर कमीशनर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय पैरोकार भूमिधारी की तरफ उपस्थित रहे हैं उन्होंने कोई उकबादारी नहीं की तथा निर्णय के बाद अपील भी नहीं की ऐसी स्थिति में एक कोरल रेकॉर्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कार्यों को बंदखान कर जूरमना कर वसुल का आदेश दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।सेटलमेंट अर्थिस्टी ने गांव के ओरण में रकबे में गत के मुकाबले वृद्धि की है जिसमें भी शामिल है कि आबादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। पूर्व के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791, ग्राम बंढगांव की पुराने आबादी में स्थित है मौके पर ओरण नहीं है इस आधार पर भी अपील को खारिज किये जाने योग्य है।अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। इसलिए उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील पर नियमानुसार कोर्ट फीस पेश है हमने इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में अहवाला अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अपीलवादा रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अपीलवादा के विरुद्ध धारा 91 आरएलआर एक्ट का प्रकरण नहीं बनाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।वकील अपीलवादा द्वारा पेश की गई विधि तथ्यों को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि भटवारी हल्ला बडगांव द्वारा गैर सायल बलभाराम के विरुद्ध मौजा बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अतिदमन किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 18/2012 है।इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बंदखल करने का आदेश एवं बतौर जूरमना 50/-रूपये से दण्डित किया गया।उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल

द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या 40/2012 वलभाराम बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 का अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध न्यायपालिका द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर (राजस्थान) के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 30/2012 वलभाराम बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध न्यायपालिका द्वारा निगरानी/एल.आर./1460/2015/जालोर वलभाराम बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार गनीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गनीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि बहस कथनों एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य भुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरणा रिगर्ड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार गनीवाडा द्वारा दिनांक 18.09.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी वलभाराम पुत्र सोमाराम जाति पुरोहित साकिन जंतपुरा द्वारा आधा क्वच से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बंदखुल करने का आदेश दिया जाना है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है जो वसूल हो। विचारार्थ अपील प्रकरण संख्या 10/2019 सराकर बनाम वलभाराम में तहसीलदार गनीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत की गई है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बडगांव के समस्त क्षेत्र 7.11 हेक्टा रकबा 0.71 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस संबंध में वकील अपीलांत द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जागीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची में एवं बी.पे.के. प्रथम में ए. भाग कृषि भूमि का तथा बी. भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी. भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व. पिछाड़ी खुली जमीन है। उप. जागीर (जागीर) जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व. पिछाड़ी जमीन है को बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करने हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने से जरिफे रजिस्टर्ड बेचने व. रस्तावेज के अपीलांत को बेची गई है। भूमि आबादी में स्थित होने से ग्राम संचालक बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा पानी विजली के कनेक्शन भी नित्य भुंये है। अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आराजी पर कायिज है। नहसुददा गनीवाडा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर वित्तिकरी संगत

प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखत कता आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा जबकि इस प्रकरण में अपीलान्त अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट लागू नहीं होगा। कयोकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व 'NOC' जारी की है। तथा भू खण्ड राजस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजों के लिये उपधारणा - अधिकार अभिलेख में दिनांक गये समस्त इन्द्राजों के सही होने की उप-धारणा की जायेगी जब तक वा विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये। इसी के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। ओरण नहीं है इसे अपीलान्त साबित करने में सफल रहा है। कयोकि प्रकरण संख्या 10/2019 सरकार बनाम वलभाराम की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन बही है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है। जागीर कमिश्नर के निर्णय की पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जबकि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेंट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजस्थान अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहम के दौगन तर्क दिया गया कि अपीलान्त को नायब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ कयोकि अपीलान्त द्वारा गैर मुमकिन ओरण क्रिसम की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि वादत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन लिया हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी दिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से भूजित हुआ है। जिसकी पूर्व से ही क्रिसम गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंजन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है। राजस्टर्ड बेचन दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है। तथा क्रिसम गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दिवस अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बेदखली व जुमाना के आदेश दिये गये है। अतः आधारहीन अपील का खर्च परमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहम के विन्दुओं पर भनन की किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्गमीटर क्रिसम गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2063 में श्री वलभाराम पुत्र सोमाराम जाति पुरोहित निवासी जैतपुरा द्वारा पंचायत कब्जा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 18/2012 सरकार बनाम वलभाराम दर्ज कर गैर सायल वलभाराम को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तत्वब किया गया। पेशी तारीख 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर वाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौका में परखत

करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रूपये में दंडित किया गया। निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जाजोर के न्यायालय में अपील संख्या 40/2012 वलभाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जाजोर के न्यायालय में अपील संख्या 30/2012 वलभाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 01.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अपीलाधिन निर्णय बहल रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1460/2015/जाजोर वलभाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जाजोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जाजोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी वलभाराम पुत्र सोभाधाम जाति पुरोहित साकिन जैतपुरा द्वारा अवैध रूप में गैर मुमकिन ओरण का भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोष पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पंचाम गुण 50/- अक्षर पंचम रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो। विचारधीन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के मुकदमा संख्या 10/2019 सरकार बनाम वलभाराम में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांत की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करता हुये कथन किया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निर्जा सम्पत्त को सूचा ए एवं बी पश को जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चकली का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। को आशदी में ही बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से जरिये वैधान दस्तावेज के अपीलांत द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.अ.सी. जमीन कानून भी अपीलांत द्वारा कथन किया गया है। जबकि रेस्पोंडेंट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल भाग चकली का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नहीं है। विवरित खसरा नंबर 691 पर जो खसरा नंबर 622 से सृजित हुये है। जिसकी पूर्व में ही कि.स. गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि होने से आवंटन एवं नियन्त्रण काबिल नहीं है। अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार की निजी सम्पत्ति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो जमाबन्दी में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से साबित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजों साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। यद्यपि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछड़ी खुली जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किन्तु गैर मुमकिन ओरण की भूमि ही चक्की का मकान वाला भू भाग रह हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलान्त वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेंट में ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जब तक किन्तु गैर मुमकिन ओरण में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलान्त किसी भी प्रकार का अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा मुकदमा संख्या 10/2019 सरकार बनाम बलभारण में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर तम्बर में ब्राम हो।

Sd-

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर, जालौर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुला न्यायालय में सुनाया गया।

Sd-

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर, जालौर